पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

महाराष्ट्र के अनिर्णीत विषय राम नाईक ने मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस के सुपुर्द किए

मुंबई: 9 मार्च, 2015

महाराष्ट्र के दीर्घ राजनैतिक जीवन में अनेकों विषय सामने आए, समस्याओं का समाधान किया किन्तु फिर भी कुछ गंभीर प्रश्नों का समाधान नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रुप में जिम्मेदारी संभालने के बाद भी महाराष्ट्र की ऐसी कुछ समस्याओं का समाधान होना ही चाहिए, ऐसा लगने के कारण इन विषयों पर ध्यान देने का अनुरोध श्री राम नाईक ने कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस से प्रत्यक्ष मुलाकात कर किया है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने आज मुंबई में पत्रकार परिषद में दी। श्री नाईक द्वारा ध्यानाकर्षित किए गए सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया है।

तारापूर अणु ऊर्जा प्रकल्प विस्थापितों का पुनर्वास श्री राम नाईक के लिए बहुत आत्मीय विषय है। अक्करपट्टी - पोफरण के 1250 विस्थापित परिवारों ने अपने पुनर्वास के लिए अन्ततः वर्ष 2004 में मुंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की। उस समय श्री नाईक भी उनकी रिट याचिका में सहभागी हुए । विशेष अनुमति से इतने दिनो तक वे अपना पक्ष खुद ही न्यायालय के समक्ष रखते रहे। विगत 10 वर्षों से न्यायालय में लंबित इस प्रकरण की अबतक 60 बार सुनवाई हुई है. न्या. श्रीमती वासंती नाईक व न्या. श्रीमती मृदुला भाटकर ने खंडपीठ के सामने अगली सुनवाई 16 मार्च को है। राज्यपाल पद की संवैधानिक जिम्मेदारी के कारण अब श्री नाईक इस याचिका में न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख पायेंगे। परंतु निर्णायक मोड पर पहुंची इस याचिका के निराकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय में सकारात्मक भूमिका अपनानी चाहिए ऐसा अनुरोध श्री राम नाईक ने कल चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस से किया। इस चर्चा में श्री विजय तामोरे व अन्य प्रकल्पपीडितों ने भी अपनी बात रखी। इस याचिका में मछुआरे प्रकल्पपीडितों को वैकल्पिक जमीन देने के विषय में तथा अन्य प्रश्नों का भी महाराष्ट्र सरकार ने अविलम्ब निराकरण करना चाहिए ऐसा अनुरोध श्री राम नाईक ने किया। इसके उपरान्त इस संदर्भ में योग्य भूमिका का निर्वाह करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने श्री नाईक को दिया। केन्द्र सरकार ने भी इस मामले में सकारात्मक दृष्टिकोन रखना चाहिए ऐसा अनुरोध श्री नाईक ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से इससे पहले दिनांक 10 फरवरी को प्रत्यक्ष मुलाकात में किया है।

देश के कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए श्री राम नाईक लम्बे अरसे से जूझ रहे हैं। राज्यपाल पद की जिम्मेदारी स्वीकार करने तक वे कुष्ठपीडितों के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल लेप्रसी यूनियन इस सुविख्यात संस्था के अध्यक्ष भी थे। पूरे देश के विभिन्न कुष्ठपीडितों की संस्थाओं के साथ उन्होंने संसद में इस संदर्भ में याचिका भी दी थी। इस याचिका में कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए अनेक उपायों का उल्लेख किया गया था। संसद की याचिका समिती ने भी अपने प्रतिवेदन में उसके अनुरुप कई सुझाव दिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण शिफारिश कुष्ठपीडितों को प्रतिमाह प्राप्त होने वाले निर्वहन अनुदान 2000/- रुपए तक बढाने की थी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनने के बाद श्री राम नाईक की सूचना पर वहां के कुष्ठपीडितों का निर्वहन अनुदान बढाकर रु. 2500/- किया गया है। महाराष्ट्र में कल्याण महापालिका ने भी इतना अनुदान देने का

निर्णय किया है। कुष्ठपीडितों के सबलीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी संपूर्ण राज्य में कुष्ठ पीडितों का निर्वहन अनुदान बढाकर प्रतिमाह रु.2500/- करना चाहिए, ऐसा अनुरोध कल चर्चा के दौरान श्री राम नाईक ने मुख्यमंत्री से किया। महाराष्ट्र कुष्ठ संगठन के अध्यक्ष श्री बळीराम तांबडे, संजय गांधी कुष्ठ वसाहत के श्री भिमराव मधाळे व तपोवन के श्री उदय ठकार भी इस बैठक में उपस्थित थे।

1953 से बोरीवली के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में (तत्कालीन कृष्णगिरी उद्यान) में पहले बने अधिकृत स्टॉल धारकों को वन जमीन अधिनियम बनने के बाद तोड दिया गया था और अब अन्य तरीकों से वहां खान-पान सेवा शुरु किए जाने के आसार दिख रहे हैं। अगर यह सुविधा प्रदान करनी ही है तो पुराने स्टॉल धारकों को वहां स्थान दिया जाये या अन्य विकल्प खोजे जाएं इसका निर्णय राज्य शासन द्वारा किए जाने का आदेश उच्च न्यायालय ने दिया है। सरकार ने इन पुराने स्टॉल धारको को ही फिर से प्रतिस्थापित करके सामाजिक न्याय देना चाहिए, ऐसा अनुरोध भी श्री नाईक ने मुख्यमंत्री से किया है। 1978 में श्री नाईक प्रथमत: बोरीवली से विधायक चुने गए। इसी बोरीवली में यह उद्यान बसा हुआ है और इसी कारण इन सभी स्टॉल धारकों के उजडे परिवारों का नुकसान उन्होंने काफी करीब से देखा है। जिसके इसलिए यह आग्रहपूर्ण मांग श्री नाईक ने रखी। कुष्ठपीडित और राष्ट्रीय उद्यान संबंधी विषयों पर चर्चा के समय स्थानिक विधायक श्रीमती मनिषा चौधरी और पूर्व विधायक श्री हेमेंद्र महेता भी स्टॉल धारकों के प्रतिनिधियों के साथ उपस्थित थे।

श्री नाईक गोरेगाव के निवासी हैं और पहले गोरेगाव भी उनके उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र का एक हिस्सा था। शुरु से ही गोरेगाव स्थित आरे वसाहत के वृक्षों को न तोडे जाने की भूमिका श्री नाईक की रही है। मेट्रो - 3 के निर्माण के लिए आरे कॉलनी के वृक्षों को न उखाडा जाए और उसके लिए मेट्रो के प्रस्ताव में आवश्यक तब्दीली लाई जाये ऐसा सुझाव श्री नाईक ने चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री को दिया। मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और आरे कॉलनी ये दो बडे हरित भूभाग हैं। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इस क्षेत्र में अन्य कोई भी निर्माण कार्य न किया जाये ऐसा श्री राम नाईक ने बताया।

श्री नाईक के उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र की पुनर्रचना के पहले आने वाला पालघर तालुका अब जिला बना दिया गया है। स्वाभाविक रुप से पालघर के प्रस्तावित विकास योजनाओं के संबंध में भी श्री नाईक ने मुख्यमंत्री को कुछ परिवर्तनों के बारे में सूचित किया है। चर्चा के दौरान पालघर के रहिवासी श्री जयंत दांडेकर के नेतृत्व में प्रतिनिधी मंडल उपस्थित था।

राज्यपाल श्री राम नाईक ने आत्मीय लगने वाले महाराष्ट्र के कुछ प्रश्नों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उनके समाधान का अनुरोध मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस से जिस विश्वास से व्यक्त किया उसकी सराहना बैठक में उपस्थित सभी ने की । चर्चा के दौरान श्री नाईक ने कहा कि वे अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं इसलिए भविष्य में स्थानिक समस्याओं के समाधान के लिए लोगों ने अब स्थानीय सांसद, विधायक और मंत्रियों से संपर्क करना चाहिए।